यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ा संख्या–183/2022
प्रस्तुति दिनांक–13.12.2022
िय दिनांक–04.09.2024

घनश्याम पुत्र पोखरलाल जाति जाट निवासी ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0) वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मु. महरामा जाति जाट निवासी ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. तहसीलदार पीपलू
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा पीपलू

प्रतिवादीगण

वक्ता वादी–श्री नन्दकिशोर शर्मा व श्री हेमराज गुर्जर एड0
वक्ता प्रतिवादी संख्या 01–श्री विवेक चौधरी एड0 व छीतरलाल प्रजापत एड0

दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1648 रकबा 2.1497 हैक्ट. वाके ग्राम सन्देडा, पटवार हल्का सन्देडा, भू.अ.नि. लोहरवाडा तह0 पीपलू में है। जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा था प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी अपने–अपने की भूमि को काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादी उपरोक्त वर्णित भूमि में जमाबंदी में अंकित हिस्से ताबिक मौके पर दो जगह काबिज होकर अपने अपने हिस्से की भूमि पर तारबंदी व डोल लगाकर काश्त एवं ग उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमियों का पक्षकारान् के मध्य विधिवत् विभाजन नहीं हुआ ौके पर वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है, परन्तु जमाबंदी संयुक्त रूप से होने से वादी को अपने की भूमि के उपयेाग उपभोग करने में परेशानियां उत्पन्न होती है। वादी अपने हिस्से का विभाजन करवाकर ूमि वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उस भूमि को अलग अंकित करवाने का हकदार है। प्रतिवादी विधिवत् विभाजन के उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी को उसके हिस्से में काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने धा उत्पन्न कर रहा है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया हैं कि वह अपने हिस्से की आराजी का त् तकास्मा करवा लेवे। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा पारित फरमाया जाकर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

क्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी के बीच विधिवत् तकास्मा किया जाकर पक्षकारान् की पृथक–पृथक माबंदी की जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से धिवक्ता श्री विवेक चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की दपत्र के चरण संख्या 03 में अंकित खसरा नम्बर की प्रतिवादी कब्जे अनुसार तकास्मा करवाने हेतु सहमत हैं। दपत्र के चरण संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत है। वादी प्रतिवादी के विरूद्ध कानूनन स्थायी निषेधाज्ञा का तोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादपत्र के अन्त में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष "अ" की हद तक कार है किन्तु विभाजन के समय आराजी पर पहूंचने हेतु रास्ते की तरमीम किया जाना भी अतिआवश्यक हैं के पक्षकारान् के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि बिक कब्जे अनुसार विवादित आराजीयात का रास्ते को ध्यान में रखते हुए विभाजन किये जाने हेतु प्रतिवादी मत हैं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 199/1648 रकबा 497 हैक्ट. वाके ग्राम सन्देडा, जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें ी का 1/2 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। वादी उपरोक्त वर्णित भूमि में जमाबंदी में कित हिस्से के मुताबिक मौके पर दो जगह काबिज होकर अपने अपने हिस्से की भूमि पर तारबंदी व डोल ाकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमियों का पक्षकारान् के मध्य धिवत् विभाजन नहीं हुआ है। मौके पर वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है, परन्तु जमाबंदी संयुक्त रूप से ने से वादी को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग करने में परेशानियां उत्पन्न होती है। प्रतिवादी बिना धिवत् विभाजन के उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी को उसके हिस्से में काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने में धा उत्पन्न कर रहा है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया हैं कि वह अपने हिस्से की आराजी का धिवत् तकास्मा करवा लेवे। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा पारित फरमाया जाकर क्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के बीच विधिवत् तकास्मा किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या ने अपनी बहस में बताया कि मुताबिक कब्जे काश्त एवं हक हिस्से अनुसार रास्ते को ध्यान में रखते हुए वाद दी प्राथमिक डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध तावेज का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 01 ने वाद पत्र में वर्णित आराजीयात ख0न0 199/1648 रकबा 2. 97 हैक्ट. वाके ग्राम सन्देडा का अपने बहामी बंटवारे व मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन किये जाने एवं राजी पर पहुंचने हेतु रास्ते की तरमीम किये जाने पर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये में अपनी सहमति जाहिर है। मुताबिक जमांबदी से उक्त वर्णित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी का ना प्रकट होता हैं। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी की विभाजन के हकदार है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच दिनांक दिनांक 04.04.2023 व 1040 दिनांक 22.03.2024 से प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार पीपलू को

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

जस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए मौके पर कब्जे व
जस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था।
सी पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 2540 दिनांक 24.07.2023 से तकास्मा प्रस्ताव व 1490 दिनांक
.05.2024 से तकास्ता रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता
ी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर तकास्मा कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
धिवक्ता प्रतिवादी ने भी प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से तकासमा रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने में
नी सहमति जाहिर की है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादी बाबत् तकास्मा आराजीयात
कार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं की मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम संदेडा,
ार हल्का संदेडा में स्थित आराजी भूमि ख0न0 199/1648/2 रकबा 0.7200 हैक्ट. व ख0न0 199/1648/4
ा 0.3548 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 1.0748 हैक्ट. वादी घनश्याम पुत्र पोखर जाति जाट सा. देह
ेदार राहिन बी.ओ.बी. शाखा पीपलू के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि ख0न0 199/1648/1 रकबा 0.6400
ट. व ख0न0 199/1648/3 रकबा 0.4349 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 1.0749 हैक्ट. प्रतिवादी राधेश्याम
मु. महरामा जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी. शाखा पीपलू के नाम रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा।
सीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं
शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न
सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में
ाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

ायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

संख्या–123/2021
प्रस्तुति दिनांक–06.10.2021
य दिनांक–04.09.2024

वा नाथ पुत्र स्व. गुलाब नाथ जाति नाथ जोगी निवासी ग्राम बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक ाज0)
मदेव पुत्र स्व. गुलाब नाथ जाति नाथ जोगी निवासी ग्राम बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक ाज0)
हलाद पुत्र स्व. गुलाब नाथ जाति नाथ जोगी निवासी ग्राम बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक ाज0)

वादीगण

बनाम

ालू पुत्र स्व. गेन्दा नाथ जाति जोगी निवासी बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
मना पुत्री स्व. गेन्दा नाथ जाति जोगी निवासी बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
बूनाथ पुत्र स्व. गेन्दा नाथ जाति जोगी निवासी बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
ात्या पत्नि धन्ना नाथ जाति जोगी निवासी बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
तनलाल पुत्र धन्ना नाथ जाति जोगी निवासी बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
क्षमा पुत्री धन्ना नाथ जाति जोगी निवासी बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
मेश पुत्र लालानाथ जाति जोगी निवासी बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
रस्वती पत्नि लादूनाथ जाति जोगी निवासी बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
हसीलदार पीपलू
उप पंजीयक पीपलू
बैंक ऑफ बडौदा शाखा बगड़ी तह0 पीपलू जरिये प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीया–श्री चतुर्भुज गुर्जर
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 08–अनुपस्थित

दावा बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राज0टि0एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद त् उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 2324 रकबा 38 हैक्ट., ख0न0 2331 रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 02 कल रकबा 0.1770 हैक्ट. तथा आराजी ख0न0

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.1391 हैक्ट. वाके ग्राम बगड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक मे स्थित है। वादीगण के पिता स्व. गुलाबनाथ
द्दनाथ ने तत्कालीन खातेदार गेन्दीनाथ पुत्र गोविन्दनाथ जाति नाथ निवासी बगडी से भूमि ख0न0 2324
00–09 बीघा व ख0न0 2331 रकबा 00–05 बीघा व ख0न0 2335 रकबा 00–11 बीघा कुल किता 03 कुल
01–05 बीघा वाके ग्राम बगडी तह0 टोंक जिला टोंक के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/6 हिस्से को जरिये
त विक्रय पत्र दिनांक 11.04.1980 को 800 रूपये अक्षरे आठ सौ रूपये नकद अदा करके खरीद कर मौके
ब्जा मालिकाना वास्तविक रूप से वादीगण के पिता स्व. गुलाबनाथ ने प्राप्त किया था। उपरोक्त आराजीयात
'6 हिस्से को गेन्दीनाथ द्वारा वादीगण के पिता को विक्रय करने के पश्चात गुलाबनाथ ही मौके पर बहैसियत
, स्वामी के रूप में अपने जीवनकाल के काश्त करता चला आ रहा है और उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण
भूमि के मालिक, स्वामी के मौके पर काबिज चले आ रहे है। वादीगण के पिता अनपढ़ व्यक्ति था और भूमि
क्रयपत्र उनके पक्ष में होने के पश्चात उक्त भूमि पर काश्त करते रहे। वादीगण के पिता कानून से अनभिज्ञ
समझ थे। जिससे उन्होने उक्त भूमि का नामान्तकरण उक्त पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर अपने नाम
ुलवाया, परन्तु वादीगण के पिता इस भूमि पर क्रय करने की दिनांक 11.04.1980 से लगातार निर्बाध रूप से
टोक के अपने जीवन काल तक उक्त भूमि को काश्त करते रहे है। वादीगण के पिता के स्वर्गवास के
उक्त भूमि पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। इस कारण उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.04.
के आधार पर तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड
ल दरामद कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत्
ारहक उद्घोषणा पारित फरमायी जाकर भूमि आराजी ख0न0 2324 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 2331
0.0632 हैक्ट. कुल किता 02 कल रकबा 0.1770 हैक्ट. तथा आराजी ख0न0 2335 रकबा 0.1391 हैक्ट. वाके
गड़ी, पटवार हल्का बगड़ी में स्थित आराजी में प्रतिवादीगण के 1/6 हिस्से का वादीगण को तन्हा खातेदार
कार घोषित किया जावे। साथ ही डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित
ाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जावे की वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नोकर या अन्य
दीगर व्यक्ति के उपरोक्त वर्णित आराजीयात को या उनके किसी भू भाग को खुर्द बुर्द, रहन, दान, बेचान
करे। वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 बावजूद
ल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वादी स्वयं सुवानाथ पुत्र स्व. गुलाबनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम
ी, रामराय पुत्र देवालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बगड़ी, पूरणमल पुत्र मूलचन्द जाति वर्मा निवासी ग्राम
ी, प्रहलाद पुत्र स्व. गुलाबनाथ जाति नाथ जोगी निवासी ग्राम बगड़ी व रामदेव पुत्र स्व. गुलाबनाथ जाति नाथ
ी तह0 पीपलू जिला टोंक प्रस्तुत कर कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 2324 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0
1 रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 02 कल रकबा 0.1770 हैक्ट. तथा आराजी ख0न0 2335 रकबा 0.1391
ट. वाके ग्राम बगड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक मे स्थित है। वादीगण के पिता स्व. गुलाबनाथ पुत्र उद्दानाथ ने

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

ीन खातेदार गेन्दीनाथ पुत्र गोविन्दनाथ जाति नाथ निवासी बगडी से भूमि ख0न0 2324 रकबा 00–09 बीघा ०न0 2331 रकबा 00–05 बीघा व ख0न0 2335 रकबा 00–11 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 01–05 बीघा ग्राम बगडी तह0 टोंक जिला टोंक के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/6 हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क 11.04.1980 को 800 रूपये अक्षरे आठ सौ रूपये नकद अदा करके खरीद कर मौके पर कब्जा मालिकाना ास्तविक रूप से वादीगण के पिता स्व. गुलाबनाथ ने प्राप्त किया था। उपरोक्त आराजीयात के 1/6 हिस्से न्दीनाथ द्वारा वादीगण के पिता को विक्रय करने के पश्चात गुलाबनाथ ही मौके पर बहैसियत मालिक, स्वामी प में अपने जीवनकाल के काश्त करता चला आ रहा है और उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण उक्त भूमि के क, स्वामी के मौके पर काबिज चले आ रहे है। वादीगण के पिता अनपढ़ एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे तथा क्री रजिस्ट्री अपने नाम पंजीयन करवाने के एवं मोके पर कब्जा प्राप्त करने के पश्चात अज्ञानतावश इसका तकरण अपने नाम नही भरवाया। वादीगण के पिता द्वारा उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण नही भरवाने रण उक्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी के पिता तथा उनकी मृत्यु पश्चात जरिये विरासत नामान्तकरण प्रतिवादीगण म खातेदारी में दर्ज हो गयी लेकिन वादीगण के पिता द्वारा भूमि के खरीद के पश्चात उक्त भूमि पर लगातार ता व अब हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। उक्त भूमि खरीदशुदा भूमि है तथा मौके पर खरीद के ा से लगभग 38 वर्षो से इस भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस का निवेदन किया। बहस वादीगण एकतरफा सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण हस अनुसार अनुसार भूमि आराजी भूमि आराजी ख0न0 2324 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 2331 रकबा 2 हैक्ट. कुल किता 02 कल रकबा 0.1770 हैक्ट. तथा आराजी ख0न0 2335 रकबा 0.1391 हैक्ट. वाके ग्राम को वादीगण के पिता स्व. गुलाबनाथ पुत्र उद्दानाथ ने तत्कालीन खातेदार गेन्दीनाथ पुत्र गोविन्दनाथ जाति निवासी बगडी से कुल किता 03 कुल रकबा 01–05 बीघा वाके ग्राम बगडी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/6 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.04.1980 को 800 रूपये अक्षरे आठ सौ रूपये नकद अदा करके द कर मौके पर कब्जा मालिकाना वास्तविक रूप से वादीगण के पिता स्व. गुलाबनाथ ने प्राप्त किया था। क्त आराजीयात के 1/6 हिस्से को गेन्दीनाथ द्वारा वादीगण के पिता को विक्रय करने के पश्चात गुलाबनाथ मौके पर बहैसियत मालिक, स्वामी के रूप में अपने जीवनकाल के काश्त करता चला आ रहा है और उनके वास के बाद वादीगण उक्त भूमि के मालिक, स्वामी के मौके पर काबिज चले आ रहे है। वादीगण के पिता ढ़ व्यक्ति था और भूमि का विक्रयपत्र उनके पक्ष में होने के पश्चात उक्त भूमि पर काश्त करते रहे। वादीगण पिता कानून से अनभिज्ञ एवं नासमझ थे। जिससे उन्होने उक्त भूमि का नामान्तकरण उक्त पंजीकृत विक्रयपत्र आधार पर अपने नाम नही खुलवाया, परन्तु वादीगण के पिता इस भूमि पर क्रय करने की दिनांक 11.04.1980 लगातार निर्बाध रूप से बेरोक टोक के अपने जीवन काल तक उक्त भूमि को काश्त करते रहे है। वादीगण के ा के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। अतः उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र नांक 11.04.1980 के आधार पर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमायी जाकर भूमि आराजी ०न0 2324 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 2331 रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 02 कल रकबा 0.1770 हैक्ट.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

आराजी ख0न0 2335 रकबा 0.1391 हैक्ट. वाके ग्राम बगड़ी, पटवार हल्का बगड़ी में स्थित आराजी में वादीगण के 1/6 हिस्से का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। साथ ही डिक्री बहक में विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द जावे की वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नोकर या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के उपरोक्त वर्णित आराजीयात को या किसी भू भाग को खुर्द बुर्द, रहन, दान, बेचान नही करे। वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल नही करे।

हमने बहस वादीगण सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा विक्रय पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र स्वयं सुवानाथ पुत्र स्व. गुलाबनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम बगडी, प्रहलाद पुत्र स्व. गुलाबनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम बगड़ी व रामदेव पुत्र स्व. गुलाबनाथ जाति नाथ जोगी निवासी ग्राम बगड़ी व स्वतन्त्र गवाह व पुत्र देवालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बगड़ी, पूरणमल पुत्र मूलचन्द जाति वर्मा निवासी ग्राम बगड़ी, तह0 जिला टोंक का अवलोकन किया गया एवं वादीगण की बहस पर मनन किया गया। उक्त विक्रय पत्र एक द्ध विक्रय पत्र है। जिसके अनुसार वादीगण के पिता स्व. गुलाबनाथ पुत्र उद्दानाथ ने तत्कालीन खातेदार नाथ पुत्र गोविन्दनाथ जाति नाथ निवासी बगडी से भूमि ख0न0 2324 रकबा 00–09 बीघा व ख0न0 2331 00–05 बीघा व ख0न0 2335 रकबा 00–11 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 01–05 बीघा वाके ग्राम बगडी टोंक जिला टोंक के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/6 हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.04.1980 00 रूपये अक्षरे आठ सौ रूपये नकद अदा करके खरीद किया जाना स्पष्ट है। विक्रयपत्र उप पंजीयक टोंक दिनांक 11.04.1980 को विधिवत् पंजीबद्ध किया गया हैं। जिसे किसी न्यायालय द्वारा अभी तक शून्य घोषित किया गया हैं। अतः वादीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में विधिक बाधा कारित नहीं होती है। अतः वादीगण का वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री ा जाता हैं कि भूमि आराजी ख0न0 2324 रकबा 00–09 बीघा व ख0न0 2331 रकबा 00–05 बीघा व ख0न0 5 रकबा 00–11 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 01–05 बीघा वाके ग्राम बगडी तह0 टोंक जिला टोंक के स्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/6 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के स्थान पर वादीगण सुवानाथ पुत्र स्व. ाबनाथ, रामदेव पुत्र स्व. गुलाब नाथ, प्रहलाद पुत्र स्व. गुलाब नाथ जाति जोगी निवासी ग्राम बगड़ी को बहिस्सा ाबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल ामद करे तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वे स्वयं जरिये जेन्ट, नोकर, रिश्तेदार, पारिवारिक व्यक्ति के उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत मदाखलत नहीं करे। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा खवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार फ्तर दाखिल हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner